

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपारान जिला - चित्तौडगढ (राज.)
पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - कलकत्ता

#831

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

धरा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 522/25

दापर दिनांक 02/10/25

निर्णय दिनांक 02/10/25



| | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|---|---------------------------|-------------------------|--|
| क्र.सं. | नाम-श्राव | साम | रिपोर्ट | | | कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश |
| 1 | <u>कमलका</u> | <u>214</u> | महोदय जी, निवेदन है कि मुलाधिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपारान को प्रेषित है। | वर्तमान प्रविष्टि | शुद्ध प्रविष्टि | तहसीलीदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज. भू.सं. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में श्राव <u>कमलका</u> प.ह. <u>कमलका</u> खातासं. <u>214</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरासमद किये जाने का आदेश दिया जाता है। |
| | हस्ताक्षर पटवारी | <u>पटवारी</u> | हस्ताक्षर गिरदीवार | हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार | पदेन सहायक कलक्टर कपासन | सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) |

प्रतिनिधि पालनाथः- पुनवार सुन्दर कपारान जिला चित्तौडगढ
1. पटवारी पटवारी मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरासमद करे।

तहसीलदार (भू.सं.) कपासन